

ख्या

कार्यवाही

22.3.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय समय तक बार-बार अवज्ञा लगावारी गई। फिर भी अनुपस्थित रहे। नही बार-बार अवसर दिए जाने पर अग्रार्थी गणों की गलती करवाई गई।

अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पेश की अनर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी प्रमाण होना नम्बरा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपसज्ज अधिकारी  
साँभर लेक

